न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0 132/2022 तारीखरजू:– 18.10.2022

उनवान:– आशाबाई बनाम जगराम वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
2022	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्‌देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि मे प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए सायलान व गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम नागलसुल्तानपुर के आराजी ख0नं0 337/0.06, 338/0.41 में रिकार्ड में दर्ज हिस्से की भूमि का आगामी तारीख पेशी 31.10.2022 तक बेचान नहीं करें। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 31.10..2022 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	S.B. 26-37 18.10.2022
31/10/22	प्रार्थी वकील उप0 अप्रार्थीगण नं0 [illegible] पत्रावली मे तामील होकर प्राप्त [illegible] हाजरान उप0। शेष अप्रार्थीगण [illegible] होकर प्राप्त नहीं हुए है, वास्ते इन्तजार नोटिस तलबी दिनांक 5.12.22 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:55:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला–करौली

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील कोई उपस्थित नहीं बार-बार आवाज दिलाई इसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं। इसलिए प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:55:38 IST
Reason: SelfAttested